प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ:दिनांक: 20-12-2024**

विषय:-जनपद गाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे औड़िहार-गाजीपुर रेल खण्ड में नन्दगंज-तरांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेल सम्पार संख्या-12स्पेशल किमी0-148/3-4 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-952/आर0ओ0बी0/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/2024, दिनांक 28-09-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे औड़िहार-गाजीपुर रेल खण्ड में नन्दगंज-तरांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेल सम्पार संख्या-12स्पेशल किमी0-148/3-4 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4636.26 लाख (जिसमें रेलवे भाग (मुख्य सेतु) की लागत रू0 1536.19 लाख, यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत रू0 84.90 लाख एवं पहुॅच मार्ग आदि की लागत रू0 3015.17 लाख सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 1085.02 लाख (रूपये दस करोड़ पच्चासी लाख दो हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-57	अनु0-83	योग
1	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे औड़िहार-गाजीपुर रेल खण्ड में नन्दगंज-तरांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेल सम्पार संख्या-12स्पेशल किमी0-148/3-4 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का निर्माण कार्य।	4636.26	854.89	230.13	1085.02

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च,2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत रू0 1536.19 लाख प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत का आकलन किया गया है।

(8) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054 सड़क तथा सेतु- 800 अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(10) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(11) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजना में प्रस्तावित सेतु की वायाडक्ट एवं आई0ई0वाल की चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि का निर्माण आईआरसी/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग हेतु रू0 14.91 लाख, वन विभाग हेतु रू0 63.39 लाख, टेलीफोन विभाग(बी0एस0एन0एल0) हेतु रू0 4.60 लाख, जन निगम हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का विस्तृत विवरण के आधार पर Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। विद्युत विभाग की शिफ्टिंग का कार्य एन0एच0ए0आई0 के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(16) प्रायोजना का निर्माण कार्य आईआरसी के मानकों के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(20) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(21) प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु (रेलवे पोर्शन के कार्य को छोड़कर) के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

(22) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(23) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमद के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022 10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) सेन्टेज चार्जेज (प्रशिक्षत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(26) प्रश्नगत आर0यू0बी0 परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या-202400003100855 है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रुपये 8,54,89,000 (रूपये आठ करोड़ चौवन लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010517 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 2,30,13,000 (रूपये दो करोड़ तीस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या083 लेखा शीर्षक 5054047891900 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-439-X-2024-25-दिनांक: 06-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलक्ट्रेट, लखनऊ।
11. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन
14- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग- 1/9/10/12 एवं 14. उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।